रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 1982/आषाढ़ 14, 1904
No. 286] NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 1982/ASADHA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

कार्यालय, विकास आयुक्त (औषधि)

आदेश

नई दिल्ली 5 जुलाई, 1982

का०आ० 476(अ)—केन्द्रीय सरकार औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट कीमत को उस अधिकतम कीमत में के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में विनिर्मित औषधि का थोक में विक्रय किया जायगा।

सारणी

क्रम सं०	औषधि का नाम	अधिकतम विक्रय कीमत रुपये प्रति किलोग्राम
1.	मैग्नीशियम हाइड्रोआक्साइड केक (32 प्रतिशत)	7.47
2.	मैग्नीशियम हाइड्रोआक्साइड ग्रन्यूल्स	24.56

[सं० 8(55)/80-औषधि-II]
आर०एन० दास, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 5th July, 1982

ORDER

S.O. 476 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column 3 of the Table hereto annexed as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table shall be sold.

TABLE

Sl. No.	Name of the drug	Maximum sale price Rupees per Kilogram
1	2	3
1.	Magnesium Hydroxide Cake (32%)	7.47
2.	Magnesium Hydroxide Granules	24.56

[No. 8(55)/80-D. II
R.N. DAS, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982